संख्या-4/2019/323/78-2-2019-158आई.टी./2017 टीसी 4

प्रेषक,

राज बहादुर,
विशेष सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

उद्योग निदेशक,
कानपुर, उ0प्र0।

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनु0-2 लखनऊः दिनांकः31 जुलाई, 2019

विषयः वित्तीय वर्ष 2019-20 में वेबसाइट का सिक्योरिटी ऑडिट ए वं अनुरक्षण कराये जाने हेतु प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सरकारी वेबसाट का भारत सरकार में सर्ट-इन के अन्तर्गत इम्पैनल्ड किसी संस्था से प्रत्येक वर्ष सिक्योरिटी ऑडिट कराये जा.
ने हेतु होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति के रूप में वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 2,69000/- (रूपये दो लाख उनहत्तर हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अधीन-निदेशक, उद्योग के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है:-

(1) उक्त स्वीकृति धनराशि के आहरण हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग-1 के प्रपत्र संख्या-6(ए) (संशोधित) द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रबंध निदेशक,यूपीडेस्को द्वारा बिल बनाकर उसे संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल लखनऊ को प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। उक्त के आहरण तथा विवरण का लेखा-जोखा उद्योग निदेशक,उत्तर प्रदेश, कानपुर के यहॉ भी रखेंगे।

(2) उद्योग निदेशक द्वारा वित्त विभाग के आदेश संख्या-बी-1-417/दस-2013-16/94, दिनांक 26 फरवरी, 2013 में दी गयी प्रक्रियानुसार सेंट्रल सर्वर के माध्यम से सम्बन्धित कोषागार को बजट आवंटन भेजे जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग शासन एवं उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम्स कारपोरेशन लिमिटेड के मध्य निष्पादित अनुबंध की शर्तो के अधीन किया जायेगा।

(4) उक्त धनराशि के व्यय वित्तीय नियमों का अनुपालन करते हुए धनराशि व्यय की जायेगी, यदि स्वीकृत धनराशि में कोई बचत होती है तो उसे शासन को अवगत कराते हुए कोषागार में जमा किया जायेगा।

(5) उक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय के उपरान्त प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट सिस्टम्स कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र तैयार कर महालेखाकार, उ0प्र0 उद्योग निदेशक, कानपुर तथा आई0टी0 एवं इले0 अनुभाग-2 को उपलब्ध कराया जायेगा।

(6) उक्त धनराशि किसी भी स्थिति में एक मुश्त आहरित कर यूपीडेस्को को उपलब्ध नहीं करायी जाएगी अपितु दो माह की आवश्यकता के अनुरूप धनराशि यूपीडेस्को को दी जायेगी एवं नियमानुसार व्यय होने के उपरान्त तथा उपयोगिता- प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरान्त आगामी दो माहों हेतु निर्गत की जायेगी।

(7) वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22-3-2019 में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन प्रशासकीय विभाग द्वारा किया जायेगा।

(8) उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 आय-व्ययक के अनुदान संख्या-007 के लेखा-शीर्षक ''2852''-उद्योग-07-दूरसंचार तथा इलेक्ट्रानिक्स उद्योग-202-इलेक्ट्रानिक्स-29-वेबसाइट का सिक्योरिटी ऑडिट एवं अनुरक्षण-16- व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओ के लिए भुगतान'' के नामे डाला जायेगा।

(9) यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 संख्या-ई-6-487/दस-19, दिनांक 22-7-2019 में प्राप्त सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

2— प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को द्वारा बजट मैनुअल के समस्त प्राविधानों/ नियमों/शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

भवदीय

(राज बहादुर)
उप सचिव

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या–4/2019/323(1)/78–2–2019 तददिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– महालेखाकर (लेखा परीक्षा), प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2– मुख्य, कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
3– संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
4– प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 डेवलपमेंट सिस्टम कारपोरेशन लि0/यू0पी0एल0सी0, लखनऊ।
5– निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
6– राज्य समन्वयक, उ0प्र0 सेन्टर फार ई-गवर्नेन्स, यूपीडेस्को, लखनऊ।
7- वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–6/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (बजट) अनुभाग-2 ।
8– औद्योगिक विकास अनुभाग-2 / सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन अनुभाग-3 /नियोजन अनुभाग-4/आईटी अनुभाग-1
9– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राज बहादुर)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।